अध्याय - 3

लेन-देनों की लेखापरीक्षा

सामान्य क्षेत्र एवं आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत सरकारी विभागों उनके गठित दल के साथ-साथ स्वायत्त निकायों के लेन-देनों की लेखापरीक्षा में संसाधनों के प्रबंधन में चूक तथा नियमन, औचित्य तथा मितव्यता के मानकों के अनुपालन मे विफलता के उदाहरण प्रकट हुए। इनको विस्तृत उद्देश्य शीर्षो के अंतर्गत उत्तरवर्ती पैराग्राफों में प्रस्तुत किया गया है।

3.1 नियमों तथा विनियमों की गैर-अनुपालना

ठोस वित्तीय प्रशासन तथा वित्तीय नियंत्रण के लिए, यह आवश्यक है कि वित्तीय नियमों, विनियमों तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेशों से पुष्टि की जाती है। यह न केवल अनियमितताओं, दुरूपयोग तथा धोखाधड़ियों को रोकता है, बल्कि अच्छे वित्तीय अनुशासन का अनुरक्षण करता है। नियमों तथा विनियमों से गैर-अनुपालना के लेखापरीक्षा निष्कर्षों में से कुछ निम्नलिखित है।

लोक निर्माण विभाग

3.1.1 ₹ 1.45 करोड़ का अनावश्यक व्यय

लो.नि.वि. द्वारा इसकी कार्य संविदा में मूल्य परिवर्तन उपबन्ध जो संविदा की सामान्य शर्तों के अनुरूप नहीं है,को अपनाने के कारण दो कार्यों में ₹ 1.45 करोड़ का अनावश्यक व्यय हुआ ।

सामान्य वित्त नियम (सा.वि.नि.) 204(ii) निर्धारित करता है कि सकल संविदाओं के सम्बन्ध में जहाँ भी संभव हो आवश्यक संशोधनों के साथ संविदाओं के मानक फॉर्मों को अपनाना चाहिए । संशोधन वित्तीय तथा विधिक सलाह प्राप्त करने के बाद ही करने चाहिए ।

कार्य में प्रयोग किए जाने वाले श्रम, सामग्री तथा पेट्रोलियम, तेल तथा लुब्रिकेण्ट्स (पीओएल) के मूल्य परिवर्तनों के कारण ठेकेदार को भुगतान संविदा की सामान्य शर्तों के उपबन्ध 10 सीसी के अंतर्गत किए जाते हैं । परंतु यह उपबन्ध उन कार्यों पर लागू नहीं होगा जिनमें कार्य की समाप्ति की अवधि 18 माह या कम है । ऐसे मामलों में वृद्धि हेतु दिसम्बर 2004 में एक नया उपबन्ध 10 सीए जोड़ा गया, जो केवल स्टील की छड़ों/तथा सीमेंट के सम्बन्ध में लागू होता था, जबकि उपबन्ध 10 सी अन्य घटकों (श्रम, इत्यादि जिनके मूल्य वैधानिक आदेशों के कारण परिवर्तित होते हैं) पर लागू होता है।

लेखापरीक्षा में लो.नि.वि. के विभाग एफ-111 द्वारा प्रदत्त निम्न निर्माण कार्यों से सम्बन्धित संविदाओं की नमना जाँच की गईः

क्रम सं.	निमार्ण कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	प्रदान करने की तिथि	अनुमानित लागत	निविदाकृत लागत	आरंभ की निर्धारित तिथि	समाप्ति की निर्धारित तिथि	समाप्ति की वास्तविक तिथि
				₹ करोड़ में				
1.	नारायणा 'टी' बिन्दु, रिंग रोड पर फ्लाईओवर का निर्माण	नवयुग इंजीनियरिंग कं.लि.	20.02.2007	65.77	97.91	14.03.2007	13.12.2008	प्रगति पर
2.	अरूणा आसफ अली मार्ग पर तालाब (नीला हौज) पर पुल का निर्माण	मेसर्स वलेचा इंजीनियरिंग लि.	16.04.2008	25.16	34.45	08.05.2008	07.09.2009	25.09.10

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि मूल्यों में परिवर्तन हेतु ठेकेदार को प्रतिपूर्ति करने के लिए मानक उपबन्ध 10 सीसीए तथा 10 सीए उपलब्ध थे परंतु उपरोक्त कार्यों के नि.आ.स./समझौते में इन उपबन्धों को सम्मिलित नहीं किया गया । इसके स्थान पर एक नया उपबन्ध 10 सीसीए अंगीकार किया गया जो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट (सीपीडब्ल्यूडी) तथा उसके नियमावली प्रावधनों द्वारा जारी की गई सामान्य शर्तों के अनुरूप नहीं था । इस उपबन्ध में सामान तथा श्रम के घटक श्रम 22 *प्रतिशत*,स्टील 25 *प्रतिशत*, सीमेंट 15 *प्रतिशत*, ईधन 5 *प्रतिशत* तथा मशीनरी तथा मशीन उपकरण 18 *प्रतिशत* लिए गए तथा मूल्य परिवर्तन के कारण भुगतान/वसूली बिल वार की जानी थी । यह उपबन्ध सा.वि.नि. के 204 (ii) के अन्तर्गत आवश्यक विधिक तथा वित्तीय सलाह लिए बगैर जोड़ा गया ।

समझौते में उपबन्ध 10 सीसीए सम्मिलित करने के कारण विभाग को मूल्य परिवर्तन के रूप में ठेकेदार को ₹ 11.54 करोड़ (कार्य- I हेतु ₹ 8.88 करोड़ तथा कार्य- II हेतु ₹ 2.66 करेड़) का भुगतान करना पड़ा । लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस धनराशि में मशीनरी घटकों हेतु ₹ 1.45 करोड़ (कार्य- I के लिए ₹ 1.16 करोड़ तथा कार्य- II हेतु ₹ 0.29 करोड़) सम्मिलित थे, जो सीपीडब्ल्यूडी नियमावली के किसी प्रावधान के अनुसार भुगतान योग्य नहीं थे । अतः ठेकेदार को मूल्य परिवर्तन के रूप में अदा किए गए कुल ₹ 11.54 करोड़ में से ₹ 1.45 करोड़ की धनराशि आवश्यक नहीं थी ।

परियोजना प्रबंधक ने बताया (जुलाई 2012) कि नि.आ.सू. का अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी ने यह उपबन्ध पुल/फ्लाईओवर के निर्माण कार्य हेतु लो.नि.वि. के मुख्य अभियंता के निर्णयों के अनुसार जोड़ा था । जहाँ तक मशीनरी तथा मशीन उपकरणों का प्रश्न है, यह फलाईओवरों तथा अण्डरपासों जैसे कार्यों में प्रमुख भूमिका निर्वाह करते है । इस प्रकार उक्त उपबन्ध में इस घटक को सम्मिलित करना अन्य घटाकों में कुल प्रावधान को विभाजन करने की अपेक्षा अधिक व्याहावारिक था ।

यह उत्तर निम्न आधारों पर स्वीकार्य नहीं है:

- मशीनरी तथा मशीन उपकरणों पर मूल्य की वृद्धि का भुगतान न्यायसंगत नहीं था क्योंकि ये पूंजीगत सामान हैं जिनका एक बार क्रय किया जाता है तथा आवश्यकता पड़ने पर कार्यस्थलों पर नियोजित किया जाता है ।

- संविदा की सामान्य शर्तों का मूल्यें में परिवर्तन के उपबन्ध 10सी, 10सीए तथा 10सीसी के साथ निर्धारण किया गया है । अतः नए उपबन्ध 10सीसीए को रखना न्यायसंगत नहीं था ।

इस प्रकार लो.नि.वि. द्वारा उपरोक्त कार्यों मे एक नए मूल्य वृद्धि उपबन्ध को अनुचित रूप से अंगीकृत करने से ₹ 1.45 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

यह मामला विभाग को मार्च 2012 में बताया गया था, उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 2013)।

3.2 न्यायसंगता के बिना औचित्य/व्यय के प्रति लेखापरीक्षा

सार्वजनिक निधियों से व्यय को प्राधिकृत करने को सार्वजनिक व्यय की औचित्यता तथा कार्यकुशलता के सिद्धांतों द्वारा संचालित किया जाता है । व्यय करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों से उसी सावधानी से लागू करने की अपेक्षा की जाती है, जैसाकि सामान्य विवेक वाला व्यक्ति अपने धन के संबंध में सावधानी बरतेगा तथा प्रत्येक कदम पर वित्तीय आदेश को लागू करेगा तथा मितव्ययिता को सुनिश्चित करेगा । लेखापरीक्षा ने गैर-उपयुक्तता तथा अतिरक्त व्यय के निम्नलिखित उदाहरणों का पता लगाया है ।

सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग

3.2.1 संविदा के निरस्त होने के कारण ₹ 86.48 लाख का अनावश्यक व्यय

'एक परियोजना नजफगढ़ के नाले के साथ वर्तमान जलबद्ध मैकाडम रोड का ढांसा बाँध से काकरौला रेगुलेटर तक उन्नयन' पर सरकार के निर्णय में असंगति से संविदा का निरसन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप ₹ 86.48 लाख का अनावश्यक अतिरिक्त व्यय हुआ ।

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) के अनुमोदन (2001) के अनुसरण में सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग ने नजफगढ़ रोड के साथ ढाँसा बाँध से काकरौला रेगुलेटर तक वर्तमान जल मार्गस्थ मैकाडम (डब्ल्यू.बी.एम) सड़क के उन्नयन की योजना तैयार की । यह योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अनुमोदन प्राप्त करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रेषित की गई । मंत्रालय ने परियोजना के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को ₹ 5 करोड़ जारी किए (फरवरी 2002) ।

विभाग ने यह कार्य मेसर्स केपिटल कंस्ट्रक्शन कम्पनी (ठेकेदार) को ₹ 3.97 करोड़ की निविदा राशि पर प्रदान किया (मई 2003) जिसके आरंभ तथा समाप्ति की निर्धारित तिथि क्रमशः 20 मई 2003 और 19 फरवरी 2004 थी ।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पता चला कि विभाग के मुख्यमंत्री, दिल्ली के प्रधान सचिव से आगे के निर्देश प्राप्त होने तक प्रस्तावित सड़क पर कोई कार्य आरंभ न करने के लिए निर्देश प्राप्त हुए थे (29 जनवरी 2004), क्योंकि इस कार्य के परिणामस्वरूप ट्रकों तथा अन्य वाहनों की बड़े पैमाने पर आवाजाही से स्थान की शांति भंग होगी जिसे जलाशय के पास एक पक्षी अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया जा रहा है । तदनुसार यह कार्य विभाग द्वारा 5 फरवरी 2004 को स्थगित कर दिया गया । विभाग ने नजफगढ़ नाले पर ढाँसा बँध से काकरौला रेगुलेटर तक सड़क के उन्नयन का कार्य न किए जाने के निर्णय को पुनर्विचार हेतु मामले को सरकार के समक्ष परियोजना को इन तथ्यों के साथ न्यायसंगत ठहराया कि यह सड़क पिछले 15 से 20 वर्षों से अस्तित्व में है तथा इसे आस-पास के गांवों के किसानों द्वारा अपनी कृषि उपज तथा सम्बन्धित निर्गतों के यातायात हेतु उपयोग किया जाता है और इस सड़क के उन्नयन से अचानक बहुत सारे ट्रक और वाहन नहीं आएँगें, जैसाकि शंका की जा रही है । जीएनसीटीडी ने विभाग का निवेदन मान लिया और कार्य के पुनारंभ की अनुमित दे दी (जून 2004) । तदनुसार ठेकेदार को कार्य का पुनारंभ करने और यथाशीघ्र समाप्त करने को कहा गया (29 जून 2004)। यद्यपि ठेकेदार ने समझौते की दरों पर कार्य पूर्ण करने से मना कर दिया । तब विभाग ने कार्य को ठेकेदार के जोखिम व लागत पर कार्य की धीमी प्रगति और विस्तारित तिथि तक कार्य को क्रियान्वित करने में ठेकेदार की अक्षमता के आधार पर निरस्त कर दिया (जनवरी 2005) । विभाग ने मेसर्स केपिटल कंस्ट्रक्शन द्वारा कार्य के निरसन के चरण तक (अर्थात तीसरे आर ए बिल तक) किए गए कार्य के लिए ₹ 67.77 लाख का भुगतान किया । ठेकेदार ने मध्यस्थता उपबन्ध का प्रयोग करते हुए विभाग के विरुद्ध दावे किए । मुख्य अभियन्ता (सिं.व.बा.नि.वि.) ने विवादों/दावों का निर्णय करने हेतु एक मध्यस्थ नियुक्त किया । मध्यस्थ ने निर्णय (फरवरी 2011) में संविदा के उल्लंघन हेतु विभाग को समय पर साईट को नहीं सौपने, करीब पाँच महीने तक कार्य को रोकने और संविदा अन्यायोचित रूप से निरस्त करने के लिए उत्तर दायी ठहराया । तदनुसार विभाग ने ठेकेदार को पहले ही दी जा चुकी ₹ 67.77 लाख के अतिरिक्त ₹ 40.53 लाख की निर्णीत धनराशि का भुगतान किया ।

आगे, विभाग ने अधिशेष कार्य मेसर्स मनोहर लाल गुप्ता एण्ड कं. (प्रा.) लि. को 27 जुलाई 2005 को ₹ 4.11 करोड़ की निविदा राशि पर प्रदान किया जिसकी पूर्णता की निर्धारित तिथि 2 मार्च 2006 थी । प्राप्त मदों की दरें पहले संविदा की दरों से ऊँची थी । कार्य अंततः 11 जून 2008 को ₹ 3.71 करोड़ की लागत पर पूर्ण हुआ । यह पाया गया कि 11 मदें ऐसी थीं जिन्हें पहले ठेकेदार द्वारा आंशिक रूप से क्रियान्वित किया गया था और इन कार्यों का अधिशेष दूसरे ठेकेदार द्वारा क्रियान्वित किया गया । दूसरे ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य की लागत पहले ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य की दरों की तुलना में ₹ 86.48 लाख का अन्तर निकाला गया।

विभाग ने अपने उत्तर में तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (जनवरी 2013) इसके द्वारा पहले ठेकेदार के माध्यम से कार्य कराने के सभी निष्ठापूर्ण प्रयत्न किए गए परंतु ऐसे कारण से जो उसके नियंत्रण में नहीं थे अर्थात उच्चतर अधिकारियों के निर्देशन से कार्य को लगभग पाँच माह के लिए स्थगित कर दिया गया । इसने आगे बताया कि दूसरी एजेंसी द्वारा क्रियान्वित कार्य पर दूसरी एजेंसी और पहली एजेंसी की दरों की तुलना

के कारण ₹ 86.48 लाख के अनावश्यक व्यय की आपत्ति पूर्णतः न्यायसंगत नहीं है क्योंकि पहली एजेंसी अर्थात मेसर्स केपिटल कंस्ट्रक्शन कम्पनी को कार्य के निरस्त न होने की अवस्था में समझौते के उपबन्ध 10 सी के अंतर्गत वैधानिक आदेशों के कारण दरों/मजदूरी में वृद्धि के कारण अतिरिक्त भुगतान प्राप्त होता । विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि कार्य की समाप्ति की निर्धारित तिथि 19 फरवरी 2004 थी और यदि विभाग द्वारा 5 फरवरी 2004 को कार्य स्थगित न किया जाता, तो भी 10 सी के प्रभार (यदि लागू होते) दोनों ठेकेदारों को किए गए भुगतान के अन्तर इतने अधिक नहीं होते ।

इस प्रकार परियोजना पर सरकार के निर्णय में असंगति के परिणामस्वरूप संविदा का निरसन हुआ जिससे ₹ 86.48 लाख का अनावश्यक अतिरिक्त व्यय हुआ । यह कार्य निर्धारित समाप्ति फरवरी 2004 से जून 2008 तक की देरी से भी पूरा हुआ ।

3.3 निरीक्षण/नियंत्रण की विफलता

सरकार की यह कानूनी बाध्यता है कि वह लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाये जिसके लिए वह स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास तथा अवसंरचना व जन सेवाओं के स्तर में सुधार के क्षेत्र में निश्चित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कार्य करती है । यद्यपि लेखापरीक्षा में ऐसे उदाहरण देखे गए हैं जहाँ सरकार द्वारा समुदाय के हित के लिए जन सम्पत्तियों के निर्माण के लिए जो निधियाँ जारी की गई थीं, वे विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने में असमर्थता, प्रशासनिक देख-रेख की कमी और संगठित कार्यवाही की कमी के कारण अप्रयुक्त/अवरूद्ध रहीं और/या निष्फल/अनुत्पादित रहीं । इस तरह के कुछ मामलों पर नीचे चर्चा की गई है ।

लोक निर्माण विभाग

3.3.1 सौर जल ऊष्मन तन्त्रों पर ₹ 0.73 करोड़ का निष्फल व्यय

₹ 0.73 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ जिससे डॉ.बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल को इतनी ही राशि के लागत के बाद भी विद्युत बिलों में प्रत्याशित बचत के लाभों से वंचित रहना पड़ा ।

अस्पताल में सौर जल तापन तन्त्रों (एस डब्ल्यू एच सिस्टम) के अनिवार्य संस्थापना हेतु दिल्ली सरकार के दिशा निर्देशों के अनुपालन में और चिकित्सा अधीक्षक के साथ विचार विमर्श के बाद कार्यकारी अभियंता, वैद्युत रखरखाव विभाग-352, लोक निर्माण विभाग (विभाग) ने डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल (अस्पताल) में संस्थापित किए जाने हेतु 27 एस डब्ल्यू एच सिस्टमों की आपूर्ति हेतु ₹ 0.84 करोड़ का प्रारंभिक अनुमान तैयार किया । तदनुसार अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने विभाग द्वारा कार्य के पूर्ण होने तक अस्पताल को नियमित रूप से मासिक भौतिक तथा वित्तीय प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन ₹ 0.84 करोड़ के लिए प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय की स्वीकृति (ए/ए तथा इ/एस) जारी की (जुलाई 2008) । ए/ए तथा इ/एस के नियमों तथा शर्तों में विभाग द्वारा कार्य की समाप्ति दर्ज होने से पूर्व अस्पताल से कार्य के संतोषजनक ढंग से क्रियान्वयन किए जाने का प्रमाणपत्र प्राप्त करना भी निर्धारित किया गया था ।

मुख्य अभियंता-क्षे- III, लो.नि.वि. से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद कार्यकारी अभियंता, एम- 352 ने 26 एस डब्ल्यू एच सिस्टमों के लिए ₹ 0.75 करोड़ के तीन आपूर्ति आदेश डीजीएस एण्ड डी द्वारा अनुमोदित तीन फर्मों को जुलाई 2008 में जारी किए । निर्धारित सुपुर्दगी अवधि आपूर्तिकत्ताओं से आपूर्ति आदेश की प्राप्ति की तिथि से 45 दिन थी ।

सभी तीन एजेंसिया ने अगस्त से नवम्बर 2008 के दौरान सिस्टमों की आपूर्ति की ओर 0.68 करोड़ (कर सहित आपूर्ति आदेश का 90 *प्रतिशत*) का भुगतान आपूर्तिकत्ताओं को सितम्बर 2008 से मार्च 2009 तक दर संविदा के नियम तथा शर्तों के अनुसार कर दिया गया । लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि कनिष्ठ अभियंता (पू.) विभाग एम-352, लो.नि.वि. ने अस्पताल तथा विभाग के सहायक अभियंता को सूचित किया (जून 2009) कि अस्पताल भवन के छतो पर अधिष्ठापित सौर पैनल टूट गए हैं और उनमें से तांबे के भागो की चोरी की गई है, परंतु न अस्पताल, न ही लो.नि.वि. ने मामले में कोई कार्रवाई आरंभ की । एक वर्ष के बाद कनिष्ठ अभियंता ने अस्पताल तथा सहायक अभियंता को चोरी के बारे में सूचित किया (जून 2010) । इस बार सहायक अभियंता ने कार्यकारी अभियंता को सूचित किया (जून 2010) संबंधित एजेंसियों द्वारा परीक्षण तथा चालू करने के कार्य के सिवाय एस डब्ल्यू एच सिस्टमो के अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण हो चुका है, परंतु सिस्टम के सभी 196 पैनल क्षतिग्रस्त हो गए हैं तथा ताँबे की टयूब चुरा ली गई। कार्यकारी अभियंता ने यह सूचना आगे अधीक्षक अभियंता को भेजी (25 जून 2010) । कोई ठोस कदम उठाने (अर्थात् दिल्ली पुलिस के पास एफ.आई.आर. दर्ज कराने, विभागीय पुछताछ के आदेश देने, सिस्टमों को कारगर बनाने हेतु कदम उठाने, इत्यादि) के बजाय विभाग ने अस्पताल को एक नित्यक्रम ड्रिल के रूप में सिस्टमों की ताँबे के ट्यूबों की चोरी के बारे में लिखा (30 जुलाई,13 अगस्त तथा 26 अक्टूबर 2010) ।

इस प्रकार 38 माह बीत जाने के बाद भी (जुलाई 2009 से अगस्त 2012) लो.नि.वि. ने न तो पुलिस के पास एफआईआर दर्ज कराई और ₹ 44.58 लाख का अनुमान तैयार करने के अलावा सिस्टमों को कारगर बनाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की । इस प्रकार, ₹ 0.73 करोड़ (अन्य संबंधित कार्यों जैसे पाईपलाईन, इत्यादि पर ₹ 0.05 करोड़ सहित) का निष्फल व्यय हुआ तथा अस्पताल विद्युत बिलों में प्रत्याशित बचतों के लाभों से इतनी धनराशि के निवेश के बाद भी वंचित रह गया ।

लेखापरीक्षा को दिए गए अपने उत्तर में अस्पताल ने बताया (नवम्बर 2011) कि वह सिस्टमों की देखभाल तथा निगरानी के लिए इन्हें इसके सुपुर्द किए जाने के बाद ही उत्तरदायी है और चूंकि सिस्टमों को सौंपा नहीं गया, वह किसी भी चोरी/हानि हेतु उत्तरदायी नहीं है । लो.नि.वि. ने अस्पताल को सिस्टमों के संस्थापना की सूचना नही दी, न ही इस प्रयोजन हेतु कोई सुरक्षा माँगी । इसने आगे बताया कि लो.नि.वि. ने कार्य की कोई मासिक भौतिक तथा वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की, जो ए/ए तथा इ/एस के नियम तथा शर्तों का उल्लंघन है ।

यह इंगित किए जाने पर विभाग ने बताया कि भवन की देखभाल तथा निगरानी चिकित्सा प्राधिकारियों के अधीन थी और क्षेत्र में प्रवेश प्रतिबन्धित था तथा ताला-चाबी की व्यवस्था अस्पताल की सुरक्षा के पास थी ।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि चोरी का उनके संज्ञान में आने के बाद लो.नि.वि. ने कार्य की प्रगति के संबंध में अस्पताल को सूचित नहीं किया, जबकि ए/ए तथा इ/एस की शर्तों के अनुसार उसे ऐसा करना चाहिए था । इसके आगे सिस्टमों को उनकी चोरी के पूर्व अस्पताल को सौंपा नहीं गया था । अस्पताल के कथन के अनुसार लो.नि.वि. अस्पताल भवन के सिविल तथा वैद्युत कार्यों का रखरखाव करता था तथा अस्पताल परिसर में इसका सिविल तथा वैद्युत कार्य संभालता है, जिसके बारे में अस्पताल प्रशासन को ज्ञात नहीं है । भवन की छत जहाँ सिस्टम अधिष्ठापित हैं, में मुख्य प्रवेश लिफ्ट मशीन रूम से है और उसकी चाबी लो.नि.वि. स्टाफ के पास थी । अतः कार्य के क्रियान्वयन के दौरान सामग्री का सुरक्षा तथा सुरक्षा का उत्तरदायित्व लो.नि.वि. का था ।